प्रांतीय सरकार (1937–1939) एवं शिक्षा के क्षेत्र की उपलब्धियाँ

Dr.Reena
M.A,(History),Ph.D.
Assistant Professor (Guest Faculty)
Dept. Of History,
L.N.D.College, Motihari.

सारांश :–

बिहार प्रान्त में 20 जुलाई, 1937 को प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमण्डल ने अपना कार्यभार ग्रहण किया जिसने 30 अक्टूबर, 1939 तक पद पर रहकर अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया, जिससे बिहार प्रान्त प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सका एवं उसकी प्रतिष्ठा स्थापित हो सकी। प्रस्तुत आलेख में अपने कार्यकाल के दौरान प्रथम मंत्रिमण्डल, जो कि श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित हुई, द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व उपलबिधयों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

बीज शब्दः– वर्धा शिक्षा (वर्धा प्रशिक्षण स्कूल), सामूहिक साक्षरता अभियान, शिक्षा पुनर्गठन समिति, नई तालीम (बुनियादी शिक्षा)।

विस्तृत आलेखः–

सन् 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ जिसके अन्तर्गत हुए चुनावों में ब्रिटिश भारत के सात प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमण्डल का निर्माण किया गया और इसी आधार पर कांग्रेसी सरकारों ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए कार्यक्रम बनाया तो उनकी चौदह आधारशिलाओं में बुनियादी शिक्षा भी एक आधारशिला थी। गांधी जी बुनियादी शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक साधन समझते थे। वे इसे शांत सामाजिक क्रांति का एक प्रमुख आधार मानते थे। वे व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक पक्षों के पुनर्निर्माण द्वारा सामाजिक क्रान्ति लाना चाहते थे। आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता को ही उन्होंने मनुष्य के पूर्ण विकास का आधार माना। वे शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। इसलिए उन्होंने सात से चौदह वर्ष वाले वर्ग के सभी बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना आवश्यक समझा।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा योजना की स्वीकृति के बाद सन् 1938 से ही बुनियादी शिक्षा में अनेक प्रयोग आरंभ हो गए थे किन्तु वे अलग–अलग और सीमित स्तर पर किए गए।

श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में पद ग्रहण करने के उपरान्त मंत्रिमंडल ने पूरी निष्ठा के साथ चुनावी वादों को पूरा करने में अपने को समर्पित कर दिया। अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में कांग्रेस

मंत्रिमंडल ने अनेक बाधाओं के बावजूद कई सुधारात्मक कदम उठाए एवं विभिन्न कार्रवाई से रचनात्मक कार्य शुरू किया।

पूर्व में प्रतिबन्धित सभी राजनैतिक साहित्य का अत्यंत सूक्ष्म परीक्षण के बाद 92 पुस्तकों एवं प्रकाशकों को मुक्त कर दिया गया। सभी संघों पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया एवं अखबारों से जमानत मांगने की प्रथा समाप्त कर दी गई। सरकार ने सबसे पहले इसे जनता एवं उन सरकारी अधिकारियों के बीच स्पष्ट करने का प्रयास किया जो इन राजनैतिक कार्य में संलग्न थे।

डॉ० सईद महमूद को बिहार में शिक्षा विभाग का कार्यभार सौंपा गया। उन्होंने सर्वप्रथम प्रांत में प्राइमरी स्कूलों में बढ़ोत्तरी हेतु अनेक कदम उठाए। इन विद्यालयों में भारतीय व यूरोपीय दोनों छात्र.–छात्राओं के लिए व्यवस्था की गई। एक आँकड़े के अनुसार 1936–37 में विद्यालयों की संख्या 20, 790 थी जो 1937–1938 में बढ़कर 20, 903 को गयी। [1] मंत्राालय ने सारण जिले में मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया तथापि यह योजना सफल नहीं हो सकी। कुल मिलाकर बिहार में सेकेडरी विद्यालयों में भारतीय एवं आंग्ल भारतीय के साथ–साथ यूरोपीय छात्र–छात्राओं की संख्या में क्रमशः 954 से 161, 449 तथा 1,050 से 177,472 की वृद्धि आँकी गई। इसके साथ व्यय में भी बढ़ोत्तरी पाई गई जो सीधे बढ़कर 45,39,862 रुपये से 46,96,258 रुपया हो गया।

शिक्षा के शुद्ध साहित्यिक चरित्र को बदलने के प्रयास किए गए। साथ ही नए विद्यालयों में कृषि, विज्ञान, हस्तशिल्पकला जैसे विषयों में जरूरत के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई।

राजेन्द्र बाबू के पटना विश्वविद्यालय के सिनेट में प्रस्तुत एक प्रस्ताव के अनुसार सरकार ने एक समिति (शिक्षा पुनर्गठन समिति) की स्थापना की। [2] श्री के०टी० शाह इसके अध्यक्ष बनाये गये एवं समिति को बिहार में शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का सर्वेक्षण देने का काम दिया गया। समिति ने शिक्षा व्यवस्था के पुनर्गठन हेतु महत्वपूर्ण अनुशंसाओं सहित एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार ने एजुकेशन कोड के पुनरीक्षण के लिए एक समिति नियुक्त की। इसके साथ ही एक हिन्दुस्तानी समिति नियुक्त की गई। [3] मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष और बाबू राजेन्द्र प्रसाद इसके सदस्य नियुक्त किए गए।

तात्कालिक शिक्षा प्रणाली में फैली हुई अर्थव्यवस्था की आलोचना के बजाए नयी मंत्रिमण्डल नयी योजनाओं को लागू करने एवं आत्मनिरीक्षण व आत्ममूल्यांकन के प्रति अधिक चिन्तित हो गई। परिणामस्वरूप शैक्षणिक सुधार एवं भविष्य में उसके प्रसार की योजनाओं की तैयारी के प्रश्न पर सरकार को सलाह देने के लिए तीन समितियाँ गठित की गईः–

(I) The Education Re-organization committee.

(II) The Education code-Revisio committee. तथा

(III) The Hindustani committee.

वस्तुतः इन कमिटियों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा–सुविधाओं में अधिक विस्तार करना। एक अन्य उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में सरकार ने पटना में वर्धा प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जिसका मुख्य उद्देश्य भविष्य में बड़े स्तर पर शिक्षा प्रसार के लिए अभियान चलाना एवं महिला शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना था। 1938 ई० में बुनियादी शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया तथा पटना ट्रेनिंग स्कूल को बुनियादी ट्रेनिंग केन्द्र में बदल दिया गया। [4]

चम्पारण जिले के बेतिया थाना के अंतर्गत एक घने क्षेत्र का प्रयोग के लिए चुनाव किया, जहाँ 50 प्राथमिक विद्यालयों की मार्च 1939 मे शुरूआत करने की योजना का प्रस्ताव रखा गया।

अप्रैल, 1937 के अन्तिम सप्ताह में एक वृहत् स्तर पर सामूहिक साक्षरता अभियान की शुरूआत शिक्षा मंत्री डॉ० सैय्यद महमूद द्वारा की गई। [5] जिसका मुख्य उद्देश्य व्यसक शिक्षा को बढ़ावा देना था। इस कार्य के लिए 14,000 कार्यकत्त्र, जिनमें विद्यार्थी–संघ, शिक्षक, शिक्षा–पदाधिकारी आदि शामिल किए गए। 12,000 से अधिक शिक्षा संस्थाओं की शुरूआत की गयी जहाँ औसत उपस्थिति 150,000 छः सप्ताह के लिए दर्ज की गई।

एक अन्य उल्लेखनीय प्रयास जेलों के कैदियों को शिक्षित करने का किया गया। जेलों में ही अधिकारियों द्वारा कक्षाओं का आयोजन किया गया। औद्योगिक क्षेत्र भी इस अभियान से अछूता नहीं रहा। जमशेदपुर में एक ''नेटवर्क ऑफ क्लासेज'' स्थापित की गयी। महिलाओं में इस आन्दोलन का असर धीमा किन्तु प्रभावशाली रहा। ''द बिहार काउन्सिल ऑफ वूमन'' ने अभियान में भरपूर सहयोग दिया एवं अन्य महिला संगठनों को भी मदद कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

हरिजनों की शिक्षा तथा उनकी आर्थिक स्थिति में उचित सुधार करने के हेतु कुछ कदम उठाए गए। हरिजन छात्रों की आम शिक्षा तथा तकनीकी प्रशिक्षण के लिए विशेष छात्रवृत्तियाँ एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए स्वीकृत 12,50,000 रुपए में से 3,50,000 रुपये की रकम हरिजनों और आदिवासियों के लिए सुरक्षित कर दी गई। [6] शिक्षा विभाग के निरीक्षण में इस अभियान को बल मिला कि हर थाना मुख्यालय में कम–से–कम एक विद्यालय लड़कियों की शिक्षा के लिए खोला जाए। एक माध्यमिक विद्यालय प्रत्येक 34 विभागीय मुख्यालय में तथा एक उच्च विद्यालय प्रत्येक जिला मुख्यालय में खोलने की व्यवस्था की गई। स्थानीय संस्थानों को लड़कियों की शिक्षा पर अधिक आय खर्च करने की सलाह दी गई। जो लड़कियाँ उच्च शिक्षा के योगय थीं उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की गयी।

सरकार ने इसके साथ अतिरिक्त व संस्कृति–शिक्षा की भी अनदेखी नहीं की। वृहत् स्तर पर पुस्तकालय खोले जाने की अनुशंसा की गई जिनमें राधिका सिन्हा इन्स्टीच्यूट एण्ड लाइब्रेरी, मलेश्वर हिन्दी लाइब्रेरी एवं उर्दू लाइब्रेरी, पटना आदि उल्लेखनीय हैं।

15,000 रुपया ओरिएन्टल पब्लिक लाइब्रेरी के पुनर्गठन एवं 30,000 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में पुस्तकालयों के लिए मंत्रालय द्वारा दिए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

सरकार के इन शैक्षणिक गतिविधियों से न सिर्फ मातृभाषा को बढ़ावा मिला बल्कि मंत्रिमंडल के शिक्षा सुधार का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1938 में जो प्रतिशत साक्षरता 3.32 थी वह 1939 में बढ़कर 3.5 प्रतिशत हो गयी। [7]

प्रथम मंत्रिमंडल ने मुस्लिम संस्कृति व शिक्षा के विकास के लिए भी उल्लेखनीय प्रयास किए। सरकारी कोष से मुस्लिम शैक्षणिक संस्थानों के लिए 1937–38 में 5,89,021 रुपए ऋण के रूप में दिए जाने की व्यवस्था की गई जो पूर्व में हुए व्यय की तुलना में बेहतर था।

मोमिनों एवं अन्य पिछड़े मुस्लिम वर्गों के लिए सरकार ने 15,000 रुपए विशेष छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पारित किया। इसके साथ ही 15,000 रुपए फारसी एवं अरबी हस्तलिपियों की सुरक्षा हेतु प्रदान किए। पटना महाविद्यालय में उर्दू शिक्षक की शुरूआत की गई एवं 3000 रुपए पटना सिटी के मंगल तालाब में एक उर्दू लाइब्रेरी हेतु पारित किया गया।

वर्ष 1938 में मंत्रिमंडल ने शिक्षा से सम्बन्धित अनेक नई योजनाओं एवं उनपर व्यय होने वाली राशि को प्रस्तुत किया।

योजना	**व्यय होने वाली राशि (अनुमानित)**
1) मुफ्त एवं अनिवार्य बुनियादी शिक्षा योजना	300,000
2) सैन्य प्रशिक्षण विद्यालय	55,000
3) वृहत् साक्षरता अभियान	40,000
4) ग्रामीण पुस्तकालय योजना	30,000

अंततः स्पष्ट है कि बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमण्डल ने शिक्षा के क्षेत्र उल्लेखनीय सुधार लिए योजनाओं को प्रारंभ कर शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक सफलता प्राप्त की जिसे विभिन्न राजनैतिक नेताओं एवं विद्वानों ने भी स्वीकार किया है।

संदर्भ संकेतः

1) द इंडियन एनुअल रजिस्टर, 1937–38, पृ०–201

2) बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास (भाग–2), के०के०दत्त, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, 1998, पृ०–295

3) वही।

4) बिहार का इतिहास, कौलेश्वर राय, किताब महल, इलाहाबाद, 2013, पृ०–541

5) Report of political events in Bihar during the First half of August, 1937

6) बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास, उपरोक्त, पृ०–295

7) बिहार इन 1939–1940, पृ०–39